रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938

No. 426] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

फा.सं. एम(आई)/टी4एस/सीजीडी/1/2010.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां), 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम 2008 में,-

(i) परिशिष्ट I, क्रमांक संख्या 6 में, शीर्षक "महत्वपूर्ण अवसंरचना /कार्यकलाप / प्रक्रियाएं," के अंतर्गत "आईएस 9573 टाइप IV के अनुरुप स्टील रिंफोर्मड रबड़ होज" के लिए, निम्नलिखित, प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"आईएस 9573 टाइप II के अनुरुप स्टील रिंफोर्मड रबड़ होज।";

(ii) परिशिष्ट I क्रमांक संख्या 9 में, शीर्षक "महत्वपूर्ण अवसंरचना / कार्यकलाप / प्रक्रियाएं," के अंतर्गत आरम्भिक शब्द "आपातकाल प्रतिक्रिया योजना, आपदा प्रबंधन योजना और लिखित आपातकाल प्रक्रियाएं ..." और ".... सामग्री सुरक्षा आंकड़ा शीट आदि, उपलब्ध कराए गए हों।", से समाप्त शब्दों के लिए, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :—

"आपातकाल प्रतिक्रिया योजना, आपदा प्रबंधन योजना तथा लिखित आपातकाल प्रक्रियाएं। इनके अलावा, आपातकाल नियंत्रण कक्ष, जिसमें चौबीस घंटे तैनाती व प्रभावी संचार प्रणाली हों तथा आपातकाल वाहन जिसमें संचार सुविधाएं लगाई गई हों,

प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, अग्निशामक यंत्र, गैस संसूचक, मरम्मत किट एवं औजार, मानचित्र, योजना, सामग्री सुरक्षा, आंकड़ा शीट आदि उपलब्ध कराए गए हों।";

(iii) अनुसूची-1क में, "मीटर सेट तथा सतह से ऊपर सर्विस लाइनों के लिए पाइपें और ट्यूबें" शीर्षक के अंतर्गत आरम्भिक शब्द "तांबे की ट्यूब का प्रयोग उपभोक्ता के" और ".....यह तृतीय पक्ष के लिए सुलभ नहीं है।" से समाप्त शब्दों में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, नामत:-

"ताम्बे की पाइप / ट्यूब उपभोक्ता के मीटर से पूर्व केवल रसोई के अंदर प्रयोग होनी चाहिए।";

(iv) अनुसूची1-क में, "प्लास्टिक पाइप और घटक" शीर्षक के अंतर्गत आरम्भिक शब्द " आईएस 14885 या आईएसओ 4437 " और "... आईएसओ 8085 भाग 3 के अनुरुप पीई फिटिंग स्वीकार्य होगा।" से समाप्त शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"आईएस 14885 या आईएसओ 4437 के अनुरुप पोलिथिलेन(पीई) पाइपों और आईएसओ 4437 भाग 3 या ईएन 1555 भाग 3 के अनुरुप पीई फिटिंग स्वीकार्य होगा। " ;

(v) अनुसूची-1क में, "पाइप के पुन: प्रयोग की स्थितियां" शीर्षक के अंतर्गत शब्द "लचीली लोहे की पाइप के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।" हटा दिया जाएगा;

(vi) अनुसूची1-ग में, "वाल्व और फ्लैंजिस के अलावा फिटिंग" शीर्षक के अंतर्गत "आईएसओ 8085 भाग 3 के अनुरुप थर्मोप्लास्टिक फिटिंग्स स्वीकार्य होगी और ये निम्नलिखित आवश्यक्ताओं को पूरा करेंगी:" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"आईएसओ 4437 भाग 3 या ईएन 1555 भाग 3 के अनुरुप थर्मोप्लास्टिक फिटिंग्स स्वीकार्य होंगी और ये निम्नलिखित आवश्यक्ताओं को पूरा करेंगीं;":

(vii) अनुसूची1-ग में, "वाल्व और फ्लेंजिस के अलावा फिटिंग", शीर्षक के अंतर्गत उप पैरा(ख), शब्द "गर्म होने वाले घटकों को खुला नहीं छोड़ा जाएगा और सभी कॉयल फिटिंग के ढांचे में ही लगाए जाएंगें।" हटा दिया जाएगा;

(viii) अनुसूची 1घ में, "सीजीडी नेटवर्क व्याख्या", क्रमांक iv) एवं v) में "(चरण में अतिरिक्तता 2+1 से कम नहीं होगी)।" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(ix) अनुसूची 1घ में, "प्लास्टिक पाइप और ट्यूब डिजाइन फार्मूला", शीर्षक के अंतर्गत आरम्भिक शब्द "प्लास्टिक पाइप की दीवार सामान्य मोटाई की गणना"" और "..... के अनुसार की जाएगी", पर समाप्त शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :—

"प्लास्टिक गैस पाइपिंग प्रणाली का डिजाइन दबाव या दिवार की नाममात्र मोटाई किसी दिए गए डिजाइन दबाव हेतु निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा:";

(x) अनुसूची 1घ में, "प्लास्टिक फिटिंग का डिजाइन दबाव" शीर्षक के अंतर्गत "सभी पीई फिटिंग आईएसओ 8085 भाग 3 के अनुरुप होनी चाहिए" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :—

"सभी पीई फिटिंग आईएसओ 4437 भाग 3 या ईएन 1555 भाग 3 के अनुरुप होनी चाहिए।";

(xi) अनुसूची 1घ, "प्लास्टिक पाइप और ट्यूब के जोड़ तथा कनेक्शन" शीर्षक में उप-शीर्षक, "सामान्य प्रावधान" में "फ्यूजन फिटिंग्स में 60 मी.मी. और उससे अधिक बाहरी क्लैम्प सिस्टम में अंतर्निहित प्रावधान होना चहिए।" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(xii) अनुसूची 1घ में, उप शीर्षक " उच्च दबाव स्टील, लचीला लोहा, ढलवां लोहा या प्लास्टिक वितरण प्रणाली में गैस दबाव का नियंत्रण और सीमा" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"उच्च दबाव स्टील या पीई वितरण प्रणाली में गैस दबाव का नियंत्रण और सीमा।";

(xiii) अनुसूची 1घ में, उप शीर्षक "अल्प दबाव वितरण प्रणाली में गैस दबाव का नियंत्रण और सीमा" के अंतर्गत "उच्च दबाव वितरण प्रणाली से घरेलू, लघु वाणिज्यिक और लघु उद्योग उपभोक्ताओं को गैस नियंत्रित और सीमित दबाव पर दी जाती है।" शब्दों को हटा दिया जाएगा।;

IndiaCode

(xiv) अनुसूची 1घ में, शीर्षक, "गैस सेवा लाइनें" के उप-शीर्षक "सेवा लाइनों की स्थापना" के पैराग्राफ के अंत में आरम्भिक शब्द "सभी प्लास्टिक पाइप और फिटिंग....." और "...."बंद जगह में रोशनदान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।" शब्द की समाप्ति पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, नामत:

"कवर की गहराई 375 मी.मी. तक कम की जा सकती है बशर्ते कि यह निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों:

क. लाइन दबाव 110 मिलीबार से अधिक नहीं होगा।

ख. पाइप का व्यास 63 मिमी से अधिक नहीं होगा।

ग. ऊपर और नीचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) स्लैब के साथ पाइप एक ट्रैंच में रखा जाएगा। बेसमेंट की आरसीसी स्लैब की छत को तली के रूप में माना जाएगा।

घ. प्रत्येक लाइन पाइप के तीनों ओर 100 मी.मी. रेत भरी जाएगी।

ङ. टॉप पर आरसीसी की मोटाई न्यूनतम 150 मि.मी. होगी।

च. टॉप साइड को वार्निंग मैट से आच्छादित किया जाएगा।

छ. साइट की मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन (क्यूआरए)किया जाएगा। कवर की गहराई को 375 मी..मी. तक कम करने के लिए प्रबंधन से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

ज. साइट निजी संपत्ति होगी अर्थात बहुमंजिला इमारतें / अपार्टमेंट जहां भारी वाहनों की आवाजाही न हो।";

(xv) अनुसूची1 ङ. में, उप-शीर्षक "रिसाव संबंधी सर्वेक्षण" के अंतर्गत "कोई भी या एएसएमई बी 31.8, परिशिष्ट एम में वर्णित संयुक्त पध्दति को विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी प्रभावकारिता के आधार पर अपनाया जा सकता है।" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:-

"कोई भी या एएसएमई बी 31.8 में वर्णित संयुक्त पध्दति को विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी प्रभावकारिता के आधार पर अपनाया जा सकता है।";

(xvi) अनुसूची 1ङ. में, "प्लास्टिक पाइप या ट्यूब की मरम्मत" उप शीर्षक के अंतर्गत "मरम्मत पध्दति में केवल पूरे गोल टुकड़े को लगाने की ही अनुमति दी जाती है जो एएसएमई बी 31.8 के अनुसार होनी चाहिए।" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"प्लास्टिक पाइप या ट्यूबिंग की मरम्मत एएसएमई बी 31.8 के अनुसार होनी चाहिए।";

(xvii) अनुबंध 1 में, "सी.जी.डी. ढ़ांचे में प्रयुक्त होने वाली पाइप सामग्री की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक, "वाल्व" के लिए आरम्भिक शब्द "बीएस 5352....." और "...छोटे वाल्व की विशिष्टियां।" पर समाप्त शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :—

"बीएस ईएन आईएसओ 15761 : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग हेतु स्टील गेट, ग्लोब एवं चेक वाल्व, साईज डीएन 100 और छोटे के लिए।";

(xviii) अनुबंध 1 में, "सी.जी.डी. ढ़ांचें में प्रयुक्त होने वाली पाइप सामग्री की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक, "वाल्व" के लिए आरम्भिक शब्द "बीएस 5351" और ".... छोटे फ्लोटिंग बॉल वाल्व" पर समाप्त शब्दों के लिए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित जाएगा, नामत:-

"बीएस ईएन आईएसओ 17292 : पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और संबध्द उद्योगों के लिए मेटल बॉल वाल्व्स।";

(xix) अनुबंध 1 में, "सी.जी.डी. ढ़ांचे में प्रयुक्त होने वाली पाइप सामग्री की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक "फिटिंग्स" में "आईएस 1239 (भाग 2) स्टील ट्यूब, नलीदार और अन्य मजबूत स्टील की फिटिंग विशिष्टियां भाग-1 माइल्ड स्टील नलीपार और मजबूत स्टील की बनी अन्य पाइप फिटिंग।" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित जाएगा, नामत:-

"आईएस 1239 (भाग-2):स्टील ट्यूब, नलीदार और अन्य स्टील फिटिंग्स- विशिष्टियां-भाग 2: स्टील पाइप फिटिंग्स।";

(xx) अनुबंध 1 में, "सी.जी.डी. ढांचे में प्रयुक्त होने वाली पाइप सामग्री की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक, "प्लास्टिक वाल्व" में "ईएन 10204-अतिरिक्त प्रवाह नियंत्रण वाल्व" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :—

"ईएन 10204: धातु मदृश्य उत्पादों – निरीक्षण दस्तावेजों के प्रकार";

(xxi) अनुबंध 1 में, "सी.जी.डी. ढांचें में प्रयुक्त होने वाली पाइप सामग्री की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक, "पीतल की बनी फिटिंग," में "आईएस 319 प्रिकटिंग लैडेड पीतल की छड़ें, सरिए और उनके टुकड़े – विशिष्टता:- " शब्दों के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामत :-

"ईएन 12164: तांबा और तांबा मिश्रित धातु। मुक्त मशीनिंग प्रयोजनार्थ छड़ ।
ईएन 12165: तांबा और तांबा मिश्रित धातु। गढ़ा और अनगढ़ा फोर्जिंग स्टॉक।";

(xxii) अनुबंध 2 में, "सी.जी.डी. ढांचों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक-,"मिटरिंग (मापन) उपकरण" में "ओआईएमएल आर6 / ओआईएमएल आर31 डाईफ्राम गैस मीटर" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"ओआईएमएल आर 137-1 एवं 2: गैस मीटर्स।";

(xxiii) अनुबंध 2 में, "सी.जी.डी. ढांचों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक,"मिटरिंग (मापन) उपकरण" में "बीएस 1359 / बीएस 4161 डाईफ्राम गैस मीटर" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"बीएस 1359: गैस मीटर्स - डाईफ्राम गैस मीटर्स।";

(xxiv) अनुबंध 2 में, "सी.जी.डी. ढांचो में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक-, "मिटरिंग (मापन) उपकरण" में "ओआईएमएल आर32- रोटरी पिस्टन गैस मीटर तथा टर्बाईन गैस मीटर" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(xxv) अनुबंध 2 में, "सी.जी.डी. ढांचों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक- "पी.ई.पाइप और फिटिंग को जोड़ने हेतु इलेक्ट्रो फ्यूजन मशीन" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"आईएसओ-12176-2: प्लास्टिक पाइप और फिटिंग – फ्यूजन ज्योंटिंग पॉलिथिलेन

प्रणाली के लिए उपकरण-भाग 2: इलेक्ट्रोफ्यूजन।

इएमसी मानक

"ईएन- 55014 : विद्युत चालित मोटर और तथा घरेलू थर्मल उपकरण और मदृश्य प्रयोजनों हेतु, वैद्युत औजार व समरुप वैद्युत उपकरण तथा रेडियो विक्षोम विशेषताओं की माप के तरीके व सीमाएं।

ईएन 61000-6-3: विद्युतचुम्बकीय संगतता (ईएमसी) : जेनेरिक मानक-आवासीय, वाणिज्यिक और हल्के-औद्योगिक वातावरण के लिए उत्सर्जन मानक।

ईएन 61000-6-1: विद्युतचुम्बकीय संगतता (ईएमसी):जेनेरिक मानक-आवासीय, वाणिज्यिक और हल्के-औद्योगिक वातावरण क्षमता के लिए उन्मुक्ति।

ईएन-61000-3–2: विद्युतचुम्बकीय संगतता (ईएमसी): सीमाएं- हार्मोनिक तरंग उत्सर्जन (उपकरण इनपुट तरंग < 16ए प्रति चरण) की सीमाएं।

ईएन-60335-1: घरेलू और मदृश्य वैद्युत उपकरण: सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएं।

ईएन-60335-2-45: घरेलू और मदृश्य वैद्युत उपकरण: सुरक्षा- पोर्टेबल हीटिंग औजार और मदृश्य वैद्युत उपकरण के लिए विशेष आवश्यकताएं ";

(xxvi) अनुलग्नक- IV में, "ग्राहक के उपकरणों तक सर्विस लाइनों में प्रयोग किए गए जीआई पाइपों और तांबे की ट्यूबों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक "तांबे की ट्यूबिंग" में शब्दों "तांबे की ट्यूब को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली फिटिंग और बीएसईएन 1254 भाग 1 और 2 के अनुसार होगी।", को हटा दिया जाएगा।

IndiaCode

(xxvii) अनुलग्नक- IV में, "ग्राहक के उपकरणों तक सर्विस लाइनों में प्रयोग किए गए जीआई पाइपों और तांबे की ट्यूबों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं" शीर्षक के अंतर्गत उप-शीर्षक "तांबे की ट्यूबिंग" में "भराई धातु बीएसईएन 29453:1994 के अनुसार सॉफ्ट सोल्डरिंग धातु-रसायन संयोजन और उसके रूप होंगे।" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"भराई धातु बीएस ईएन आईएसओ 9453: विद्युत चुम्बकीय संगतता (ईएमसी): जेनेरिक मानक-आवासीय, वाणिज्यिक और हल्के-औद्योगिक वातावरण के लिए उन्मुक्ति के अनुसार होगी।"।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./316/2016]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम संख्या सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2008 के तहत अधिसूचित हुए और सा.का.नि.750(अ), दिनांक 14.10.2009, फा.संख्या एम(आई) टी4एस/ सीजी/डी/1/2010 दिनांक 16.12.2014, फा.संख्या एल-मिस/VI/I/2007, दिनांक 01.01.2015 तथा फा. संख्या एम (आई) टी4एस / सीजीडी / 1 /2010 दिनांक 09.04.2016 के तहत संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2016

F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

(i) in Appendix I, serial number 6, under the heading "Critical infrastructure/ activity/ processes", for "Steel reinforced rubber hose conforming to IS 9573 Type IV.", the following shall be substituted, namely: -

"Steel reinforced rubber hose conforming to IS 9573 Type II.";

(ii) in Appendix I, serial number 9, under the heading "Critical infrastructure/ activity/ processes", for the words beginning with "Emergency Response Plan, Disaster Management Plan and written emergency procedures..." and ending with "...material safety data sheets etc. at its disposal.", the following shall be substituted, namely:-

"Emergency Response Plan, Disaster Management Plan and written emergency procedures. Also, provide for an Emergency Control Room, manned round the clock and equipped with effective communication system and emergency vehicles equipped or provided with communication facilities, first aid equipment, fire extinguishers, gas detectors, repair kits and tools, maps, plans, material safety data sheets etc. at its disposal.";

(iii) in Schedule 1A, under the heading "Pipes and tubing for above ground service lines up to meter set assembly", after the words beginning with "The use of copper tubing shall only be after consumer meter such that...." and ending with "....this is not accessible to third party." , the following shall be added, namely: -

"Use of copper pipe / tube before consumer meter should be inside the kitchen only.";

(iv) in Schedule 1A, under the heading "Plastic Pipe and Components", for the words beginning with "Polyethylene (PE) pipes conforming to IS 14885 or ISO 4437,...." and ending with "....and PE fittings conforming to ISO 8085 Part 3 shall be acceptable.", the following shall be substituted, namely: -

"Polyethylene (PE) pipes conforming to IS 14885 or ISO 4437 and PE fittings conforming to ISO 4437 Part 3 or EN 1555 Part 3 shall be acceptable.";

IndiaCode

(v) in Schedule 1A, the heading "Reuse of Ductile Iron Pipes", and the words under it beginning with "Reuse of ductile...." and ending with "....iron pipes is not permitted." shall be omitted;

(vi) in Schedule 1C, under the heading "Fittings other than Valves and Flanges", for the words "Thermoplastic fittings conforming to ISO 8085 Part 3 shall be acceptable and shall meet following requirements:", the following shall be substituted, namely:-

"Thermoplastic fittings conforming to ISO 4437 Part 3 or EN 1555 Part 3 shall be acceptable and shall meet following requirements:";

(vii) in Schedule 1C, under the heading "Fittings other than Valves and Flanges", in sub-paragraph b., the words "Heating element shall not be exposed and all coils are embedded into the body of the fittings." shall be omitted;

(viii) in Schedule 1D, under the heading "CGD network Description", in the serial numbers iv) and v), the words beginning with "(stream redundancy shall..." and ending with, "...not be less than 2+1) " shall be omitted;

(ix) in Schedule 1D, under the sub-heading "Plastic Pipe and Tubing Design Formula", for the words beginning with "Nominal wall thickness of plastic pipe..." and ending with "...shall be calculated as per following formula:", the following shall be substituted, namely:-

"The design pressure for plastic gas piping systems or the nominal wall thickness for a given design pressure shall be determined by the following formula:";

(x) in Schedule 1D, under the heading "Design Pressure of Plastic Fitting", for the words beginning with "All PE fittings shall..." and ending with "...conform to ISO 8085 –Part 3.", the following shall be substituted, namely:-

"All PE fittings shall conform to ISO 4437 Part 3 or EN 1555 Part 3.";

(xi) in Schedule 1D, under the heading "Plastic Pipe and Tubing Joints and Connections", under the sub-heading "General Provisions", the words beginning with "Fusion fittings shall have inbuilt..." and ending with "...beyond external clamp system." shall be omitted;

(xii) in Schedule 1D, in the sub-heading beginning with "Control and Limiting of Gas Pressure in High Pressure Steel..." and ending with "....Ductile iron, Cast Iron or Plastic Distribution system.", the following shall be substituted, namely:-

"Control and Limiting of Gas Pressure in High Pressure Steel or PE Distribution System.";

(xiii) in Schedule 1D, under the sub-heading, "Control and Limiting of Gas Pressure in low Pressure Distribution Systems", the words beginning with "Control and limiting of pressure of gas delivered to domestic, small commercial,..." and ending with "....and small industrial consumers from high – pressure distribution system." shall be omitted ;

(xiv) in Schedule 1D, under the heading "GAS SERVICE LINES", for the sub-heading, "Installation of Service Lines", at the end of the paragraph beginning with "All plastic pipe and fittings..." and ending with, "...shall be provided in confined space.", the following shall be added, namely:-

"The depth of cover can be further reduced upto 375 mm provided it meets the following requirements:

i. The line pressure shall not exceed 110 mbar.

ii. The diameter of pipe shall not exceed 63mm.

iii. Pipe shall be laid in a trench with Reinforced Cement Concrete (RCC) slab at the top and bottom. The RCC slab of the roof of basement shall be treated as the bottom.

iv. There shall be a sand filling across three sides of the line pipe of 100 mm each.

v. RCC on top shall have minimum thickness of 150mm.

vi. The top side shall be covered by warning mat.

vii. The Quantitative Risk Assessment (QRA) of the site shall be carried out and specific approval from management shall be taken for reducing the depth of cover upto 375mm.

viii. The site shall be private property i.e. multi-storey buildings / apartments with no movement of heavy vehicles.";

IndiaCode

(xv) in Schedule 1E, for the sub-heading "Leakage Surveys", for the words beginning with "Any one or combination of methods..." and ending with "...described in ASME B 31.8, Appendix M can be adopted based on their effectiveness for the specific areas.", the following shall be substituted, namely:-

"Any one or combination of methods described in ASME B31.8 can be adopted based on their effectiveness for the specific areas.";

(xvi) in Schedule 1E, for the sub-heading "Repair of Plastic Pipe or Tubing", for the words beginning with "Only repair method allowed is use of full encirclement..." and ending with "...split sleeves which shall be in accordance with ASME B 31.8.", the following shall be substituted, namely:-

"Repair of Plastic Pipe or Tubing shall be in accordance with ASME B31.8.";

(xvii) in Annexure I, under the heading "List of Specifications of Piping Materials used in CGD Network", in the sub-heading "Valves", for the words beginning with "BS 5352...." and ending with "...petrochemical and allied industries", the following shall be substituted, namely:-

"BS EN ISO 15761: Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the petroleum and natural gas industries.";

(xviii) in Annexure I, under the heading "List of Specifications of Piping Materials used in CGD Network", in the sub-heading "Valves", for the words beginning with "BS 5351...." and ending with "...Small Floating ball valve", the following shall be substituted, namely:-

"BS EN ISO 17292: Metal ball valves for the petroleum, petrochemical and allied industries.";

(xix) in Annexure I, under the heading "List of Specifications of Piping Materials used in CGD Network", under the sub-heading "Fittings", for the words beginning with "IS 1239 (PART-2)...." and ending with "...and other wrought steel pipe fittings", the following shall be substituted, namely:-

"IS 1239 (Part-2): Steel Tubes, Tubular and Other Steel Fittings-Specification-Part 2: Steel pipe fittings.";

(xx) in Annexure I, under the heading "List of Specifications of Piping Materials used in CGD Network", under the sub-heading "Plastic Valves", for the words beginning with "EN 10204...." and ending with "...Excess flow check valve", the following shall be substituted, namely:-

"EN 10204: Metallic products- Types of Inspection documents";

(xxi) in Annexure I, under the heading "List of Specifications of Piping Materials used in CGD Network", for the sub-heading "Brass Fittings", after the words "IS 319 Free Cutting Leaded Brass Bars, Rods and Sections – Specification", the following shall be added, namely:-

"EN 12164: Copper and copper alloys. Rod for free machining purposes.

EN 12165: Copper and copper alloys. Wrought and unwrought forging stock.";

(xxii) in Annexure II, under the heading "List of Specifications for Equipment used in CGD Network", under the sub-heading "Metering Equipment", for the words beginning with "OIML R6 / OIML R31...." and ending with "...Diaphragm gas meters", the following shall be substituted, namely:-

"OIML R 137-1&2: Gas meters.";

(xxiii) in Annexure II, under the heading "List of Specifications for Equipment used in CGD Network", under the sub-heading "Metering Equipment", the words beginning with "BS 1359 / BS 4161...." and ending with "...Diaphragm gas meters", the following shall be substituted, namely:-

"BS 1359 : Gas meters - Diaphragm gas meters.";

(xxiv) in Annexure II, under the heading "List of Specifications for Equipment used in CGD Network", under the sub-heading "Metering Equipment", the words beginning with "OIML R32...." and ending with "...Rotary piston gas meters and turbine gas meters" shall be omitted;

IndiaCode

(xxv) in Annexure II, under the heading "List of Specifications for Equipment used in CGD Network", for the sub-heading "Electro fusion machine for jointing PE pipe and fittings", the following shall be substituted, namely:-

"ISO 12176-2: Plastic pipes and fittings- Equipment for fusion jointing polyethylene systems- Part 2: Electrofusion.

EMC Standards

EN-55014:	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical motor operated and thermal appliances for household and similar purposes, electric tools and similar electric apparatus
EN 61000-6-3:	Electromagnetic compatibility (EMC): Generic standards- Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-1:	Electromagnetic compatibility (EMC): Generic standards- Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
EN-61000-3-2:	Electromagnetic compatibility (EMC): Limits- Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase)
EN-60335-1:	Household and similar electrical appliances: Safety- General requirements
EN-60335-2-45:	Household and similar electrical appliances: Safety- Particular requirements for portable heating tools and similar appliances";

(xxvi) in Annexure IV, under the heading, "Minimum Requirements for GI Pipes and Copper Tubing used in service lines up to consumer appliance", under the sub-heading "Copper Tubing", the words beginning with "Fittings for use in joining copper tube shall be..." and ending with "...as per BS EN 1254 Parts 1 and 2." shall be omitted.

(xxvii) in Annexure IV, under the heading, "Minimum Requirements for GI Pipes and Copper Tubing used in service lines up to consumer appliance", for the sub-heading "Copper Tubing", for the words beginning with "Filler metals shall be..." and ending with "...as per BS EN 29453:1994 - Soft solders alloys - Chemical compositions and forms.", the following shall be substituted, namely:-

"Filler metals shall be as per BS EN ISO 9453: Electromagnetic compatibility (EMC). Generic Standards. Immunity for residential, commercial and light industrial environments.".

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./316/2016]

Foot Note : Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 612(E), dated 27th August, 2008. Amended vide G.S.R. 750(E) dated 14-10-2009. F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010 dated 16-12-2014, F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 01.01.2015 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010 dated 09.04.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.11.26 11:16:58 +05'30'